



2026:AHC:5265

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17844 वर्ष 2025

मिनाक्षी सक्सेना

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : रजनीश सहाय सक्सेना

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

सिविल विविध संशोधन आवेदन संख्या वर्ष 2025 पर आदेश

1. चूंकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।
2. तदनुसार, संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक सप्ताह के भीतर रिट याचिका में आवश्यक संशोधन करवाया जाय।
4. चूंकि इसे सीधे न्यायालय में दाखिल किया गया है, इसलिए कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो एक नया नंबर उपलब्ध करें।

याचिका पर आदेश

5. इस मामले को दिनांक 21.01.2026 को नए सिरे से दर्ज करें।

8 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।